प्रैस नोट

दिनांक- 05.10.2020

थाना छतारी पुलिस द्वारा दिनांक 24.09.2020 को ग्राम बहलोलपुर में मिले अज्ञात शव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.20 को प्रातः समय करीब 07.00 बजे थाना छतारी क्षेत्र के ग्राम बहलोलपुर के जंगल में अज्ञात शव बरामद हुआ जिसकी पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसका चेहरा जला दिया गाया था। इस घटना के संबंध में वादी हरिकिशन ग्राम चौकीदार ग्राम बहलोलपुर की तहरीर के आधार पर थाना छतारी पर मुअसं-374/20 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के सफल अनावरण एवं अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना छतारी को निर्देशत गया था। घटना की गहनता से छानबीन/जांच करने पर पाया गया कि उक्त अज्ञात शव को अभियुक्त राजकुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ग्राम दिनावली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ ने अपने दोस्त धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र महेश निवासी फाजलपुर थाना सोरो जनपद कासगंज हाल पता- ग्राम कादराबाद थाना गुन्नौर जनपद संभल के साथ मिलकर खुद को मृत दिखाने के उद्देश्य से एक अंजान व्यक्ति की लोहे की दरांती से गर्दन काट कर एवं सिर में लोहे की रॉड से गम्भीर चोट पहुँचाकर हत्या करके उसके चहरे को प्लास्टिक की पल्ली एवं उसी के कपड़ों से जला कर ग्राम बहलोलपुर के खेतो में फेक दिया था तथा राजकुमार द्वारा अपना आधार कार्ड उस मृतक की पेंट की जेब में रख दिया था जिससे कि मृतक की पहजान राजकुमार के रुप में हो सके। घटना करने के पश्चात अभियुक्त राजकुमार दिनांक 24.09.2020 को अपनी पत्नी अनीता देवी से अकराबाद बस अड्डे पर मिला और उसको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देकर वहाँ से अपने दोस्त धर्मेन्द्र के साथ चला गया। जब पुलिस टीम अनीता देवी से पूछताछ हेतु पहुंची और घटना के बारे में बताकर जानकारी की गयी तो अनीता देवी ने पुलिस को गुमराह करते हुए मृतक अज्ञात को अपना पति राजकुमार बताया जिससे कि विवेचना की दिशा ही बदल गयी। भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि राजकुमार जीवित है और घटना के बाद से ही इधर-उधर छिपते हुए घूम रहा है। दिनांक 04.10.2020 को थाना छतारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजकुमार, धर्मेन्द्र व श्रीमती अनीता देवी को ग्राम रुस्तमगढी स्थित आम के बाग से समय करीब 17.40 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त राजकुमार व धर्मेन्द्र ने अपने बयानों में बताया कि हम दोनो उस अज्ञात व्यक्ति को दिनांक 23.09.2020 को अग्रसैन चौक अलीगढ़ से नशे की हालत में 500 रुपये का लालच देकर अपने साथ थाना छतारी क्षेत्र ग्राम बहलोलपुर आये थे क्योंकि राजकुमार के खिलाफ थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ पर हत्या व बलात्कार का मुकदमा चल रहा है एवं बलात्कार वाले मुकदमें में राजकुमार के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी है जिससे वह तारीखों पर जा-जाकर थक गया। इस कारण राजकुमार ने अपने साथी धर्मेन्द्र को अपने साथ लेकर उस व्यक्ति की हत्या की थी और अपनी पहचान देने के उद्देश्य से उसको अपने कपड़े पहनाकर उसकी जेब में अपना आधार कार्ड रख दिया था ताकि पुलिस और गांव वाले भ्रमित होकर मृतक को राजकुमार समझ लें तथा राजकुमार भविष्य में पुलिस रिपोर्ट को अपने वकील के माध्यम से अपनी फाइल लगवाकर अपनी फाइल को बंद करवा सके और अपनी पत्नी व बच्चो के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगे। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रॉड व दरांती को बरामद कर लिया गया है तथा नियामानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अज्ञात मृतक के शव की शिनाख्त के भी प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1- राजकुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम दिनावली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

2- श्रीमती अनीता देवी पत्नी राजकुमार निवासी उपरोक्त।

3- धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र महेश निवासी फाजलपुर थाना सोरो जनपद कासगंज।
हाल पता- ग्राम कादराबाद थाना गुन्नौर जनपद संभल।

बरामदगी-

1- 01 दरांती, 01 लोहे की रॉड (घटना में प्रयुक्त)

2- 01 मोबाइल फोन बिना सिम का (कथित मृतक राजकुमार का)

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छतारी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री योगेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना छतारी, का0 कृष्ण कुमार, का0 ललित चौधरी, का0 रविन्द्र कुमार, म0का0 अपना